[2007] 3 SCR 301

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है तािक वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

राजस्थान राज्य

बनाम

नेत्रपाल और अन्य

[सी.के. ठक्कर और लोकेश्वर सिंह पंत ए, न्यायमूर्ति।]

दंड संहिता, 1860/शस्त्र अधिनियम, 1959-धारा 395/धारा 3 आरएलडब्ल्यू एस। 25(जे)(ए)-दोषसिद्धि के तहत- उच्च न्यायालय द्वारा लाभ प्रदान करते हुए बरी करना संदेह-धारणा का औचित्य: मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष 'उचित संदेह से परे' यह साबित करने में विफल रहा कि अभियुक्त वही व्यक्ति थे जिन्होंने डकैती की थी-इसलिए, बरी करना उचित है।

न्यायिक अवमूल्यन-उच्च न्यायालय द्वारा कठोर टिप्पणियाँ करना तथा अभियोजन पक्ष के गवाहों के खिलाफ कड़ी भाषा का उपयोग करना- अभिनिर्धारित किया: ऐसी टिप्पणियाँ विरोधाभासी बयानों को देखते हुए, न तो उचित ठहराया गया और न ही इसकी मांग की गई, न्यायालय हो सकता है कि आरोपी के खिलाफ एक संस्करण पर विश्वास न किया जाए-लेकिन दूसरे पर यह नहीं कहा जा सकता संस्करण 'झूठा' या 'गलत' था-न्यायिक प्रतिबंध और अनुशासन हैं न्याय के व्यवस्थित प्रशासन के लिए आवश्यक है

आधी रात को फरियादी और दो अन्य के घर में डकैती डाली गई लाठी-डंडे और बंदूक से लैस 10-15 डकैतों ने उन पर हमला बोल दिया और उनकी चल संपत्ति की लूटपाट की। घटना में उन्होंने शिकायतकर्ता के पिता को गोली मार दी। मामला पंजीकृत किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह बिजली की रोशनी में आरोपी को पहचान सकता है। पुलिस को मौंके से खाली बोर मिले। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और पहचान के लिए भेज दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने उनकी पहचान की. बरामद संपत्ति की मालिकों द्वारा पहचान भी की गई। ट्रायल कोर्ट ने चार आरोपियों को आईपीसी की धारा 395 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई और चार में से एक को और दो अन्य को शस्त्र अधिनयम की धारा 25 के साथ धारा 3 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को आरोपी व्यक्तियों की पहचान में; उनके कहने पर संपत्ति की पुनर्प्राप्ति और उनकी पहचान के सन्दर्भ में संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपियों को उन पर लगाए गए आरोपों में बरी कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपील दायर की गयी है।

अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया:

- 1.1 कुल मिलाकर, तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलत नहीं था कि अभियोजन पक्ष 'उचित संदेह से परे' यह साबित करने में विफल रहा कि अभियुक्त वे व्यक्ति थे जिन्होंने डकैती की थी और इसलिए, उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सका।
- 1.2 उच्च न्यायालय ने पाया कि डकैती आधी रात को की गई थी; वहाँ गाँव में बिजली को लेकर असंगतता थी और इस प्रकार गवाहों का यह बयान कि उन्होंने डकैतों को पहचान लिया था, झुठा और अविश्वसनीय था। आरोपियों की पहचान के संबंध में, पहचान परेड पर उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के उन गवाहों के साक्ष्य पर विचार किया जिन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ दिन बाद डकैतों की गिरफ्तारी का पता चला। उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया यह सब दर्शाता है कि "आरोपी व्यक्तियों को घटना के दिन के 7-8 दिनों के बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था।" लेकिन उनकी गिरफ्तारी 21/22 दिसंबर, 1987 को दिखाई गई। कई दिनों तक आरोपियों को थाने में हिरासत में रखा गया। तत्काल उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखायी गयी. न्यायालय ने कहा कि इसका मतलब यह है अभियुक्तों की गिरफ्तारी, उनकी जानकारी देने के साथ ही प्नर्प्राप्ति "सभी झूठी थीं और बाद में उन सभी में हेराफेरी की गई"। अभियुक्तगणों की पहले से गिरफ्तारी एवं उनके द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की सूचना दिये जाने से पूर्व सामग्री पुलिस दवारा बरामद की गई, इस वजह से न्यायालय ने वस्त्ओं की बरामदगी को भी संदिग्ध पाया । इस तरह, कथित बरामदगी के साथ-साथ आभूषणों की पहचान भी प्रहसन थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पहचान परेड निष्पक्ष और उचित तरीके से आयोजित नहीं कराई गई और मजिस्ट्रेट द्वारा कोई एहतियाती कदम नहीं उठाया गया।
- 2.1 अभियुक्तों द्वारा दायर की गई अपीलों को स्वीकार करते हुए और संदेह का लाभ देते हुए, उच्च न्यायालय अभियोजन पक्ष के गवाहों के खिलाफ टिप्पणियाँ और कड़ी भाषा का उपयोग करने में काफी कठोर था। यह देखा गया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य अपराध स्थल पर विद्युत प्रकाश की उपलब्धता को लेकर सुसंगत नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय सतर्क रहना चाहिए और इस साक्ष्य पर सावधानी से विचार करना चाहिए। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि के बयान अभियोजन पक्ष के गवाह 'पूरी तरह से झूठे और ग़लत' थे। न तो टिप्पणी मांगी गई और न ही उचित ठहराया गया। विरोधाभासी बयानों को देखते हुए, न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध किसी कथन पर विश्वास नहीं कर सकता है।

लेकिन ऐसा नहीं होता अनिवार्य रूप से इसका अर्थ यह है कि दूसरा संस्करण 'झूठा' या 'गलत' था।

- 2.2 कुछ गवाहों ने कहा कि उन्होंने सुना है कि आरोपी थे कुछ दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जांच अधिकारी की गवाही थी कि अभियुक्तों को 21/22 दिसंबर 1987 को गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ऐसे सब्त पर भरोसा नहीं किया जा सकता है लेकिन यह मानना कि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और हिरासत में लिया गया था लेकिन ऐसी हिरासत नहीं दिखाई गई थी, बिल्कुल भी उचित नहीं था।
- 2.3 हाईकोर्ट ने एडिशनल मुंसिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय के खिलाफ सख्त आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय के अनुसार, यद्यपि मजिस्ट्रेट ने कहा था कि उन्होंने आभूषणों की बरामदगी के बाद सभी कदम उठाये हैं और अदालत के एक क्लर्क को अभियोजन पक्ष के गवाहों को उन आभूषणों को दिखाए बिना इसी तरह के आभूषण बाजार से लाने का निर्देश देकर भेजा, मजिस्ट्रेट के बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने कहा: "मजिस्ट्रेट को कैसे पता चला कि जो क्लर्क समान प्रकार के आभूषण लाने के लिए गया था, उसने उन आभूषणों को या तो गवाहों या अन्य व्यक्तियों नहीं को दिखाया गया?" कम से कम, यह टिप्पणी अनावश्यक थी। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि आभूषण कौन से थे अभियोजन पक्ष के गवाहों या किसी अन्य व्यक्ति को दिखाया गया। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं होने के कारण मजिस्ट्रेट या न्यायालय के क्लर्क पर मकसद का आरोप लगाना बहुत अधिक है ।
- 2.4 यह नहीं कहा जा सकता कि किसी मामले से निपटते समय, एक न्यायालय कानून का पक्षकारों या गवाहों के आचरण पर टिप्पणी कर सकता है या उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक टिप्पणियाँ बना सकता है । यह है यह भी सच है कि न्यायाधीश पसंद और नापसंद वाले हाड़-मांस और सामान्य मानवीय लक्षण के प्राणी हैं। हालाँकि, साथ ही, इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है न्याय का व्यवस्थित प्रशासन के लिए न्यायिक प्रतिबंध और अनुशासन आवश्यक हैं।
- 2.5 वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, न तो अभियोजन पक्ष के गवाहों के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ उचित थीं न ही इस्तेमाल की गई भाषा की मांग की गई। विवाद में प्रश्न का निर्धारण करने के लिए भी टिप्पणियाँ आवश्यक नहीं थी, इसलिए, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए।

यूपी राज्य. बनाम मो. नईम, [1964] 2 एससीआर 363: एआईआर (1964) एससी 703, पर आश्रित ।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 711-712/1996

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आपराधिक अपील संख्या एस.बी. 302 और 322/1989 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 3.11.1989 से |

नवीन कुमार सिंह, अरुणेश्वर गुप्ता, मुकुल सूद और शाश्वत गुप्ता, अपीलकर्ता की ओर से। आर.के. कपूर, मुकेश के. वर्मा, गोविंद कौशिक (अनीस अहमद खान के लिए), डॉ. के.एस. चौहान, जीतेंद्र महापात्रा, डॉ. सुशील बलवाड़ा और विरंदर कुमार शर्मा, उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय स्नाया गया -

सी.के. ठक्कर, जे.- ये अपीलें राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की खंडपीठ द्वारा, आपराधिक अपील संख्या एसबी 302/1989 और 322/1989 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 3-11-1989 के खिलाफ राजस्थान राज्य द्वारा दायर की गई हैं। 1989 में सभी आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 25-11-1987 और 26-11-1987 की मध्यरित्र के दौरान, रामजी लाल (पीडब्लू 1) ने पुलिस स्टेशन सेवर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम समरपुर में डकैती हुई थी। आरोप है कि रात करीब 12 बजे जब वह अपने पिता द्वारिका प्रसाद और छोटे भाई सतीश के साथ अपने कमरे में सो रहे थे, तभी 10-15 की संख्या में लाठी-डंडों से लैस डकैत उनके कमरे में आये और लाठी-डंडों से हमला कर दिया और चल संपित लूट ली. रामजी लाल, चंदन, गोपाल और रामसुख के घरों से सोने-चांदी के आभूषण मिले। घटना में उन्होंने द्वारिका प्रसाद के सीने में गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गयी. रामजी लाल, पीडब्लू 1 ने भी पुलिस के सामने कहा कि वह आरोपी को बिजली की रोशनी में पहचान सकता है। रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने मौके से .12 बोर के 3 खोखे, .315 बोर के 3 खोखे और .315 बोर का एक कांच का टुकड़ा बरामद किया। 27-11-1987 को रामसुख, रामजी लाल और चंदन ने अपने घरों से लूटे गए सामानों की एक सूची सोंपी। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अतिरिक्त मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर ने उन्हें गवाहों से उनकी पहचान करायी। गवाहों ने उनकी पहचान की। जब्त और बरामद की गई वस्तुओं

को भी पहचान के लिए रखा गया और उनकी पहचान उन व्यक्तियों द्वारा भी की गई, जिनके वे थे।

- 3. ट्रायल कोर्ट ने दंड संहिता, 1860 ("आईपीसी", संक्षेप में) की धारा 395 के साथ पठित धारा 397 और 396 के तहत और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित धारा 3 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए। आरोपी व्यक्तियों ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया। उन्होंने सामान की बरामदगी से भी इनकार किया और तर्क दिया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 23 गवाहों से पूछताछ की। अभियुक्तगणों द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। विशेष न्यायाधीश, डकैती प्रभावित क्षेत्र, भरतपुर ने आरोपी नेत्रपाल, धनपाल, राजू और श्याम सिंह को आईपीसी की धारा 395 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें सात साल के कठोर कारावास से दंडित करने का आदेश दिया। नेत्रपाल, लखमी और विजेंद्र को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) के साथ पठित धारा 3 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और तीन साल के कठोर कारावास से दंडित करने का आदेश दिया गया।
- 4. अपील पर, उच्च न्यायालय ने सभी आरोपियों को आरोपी व्यक्तियों की पहचान के मामले में संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से बरी कर दिया; उनकी निशानदेही पर वस्तुओं की बरामदगी और वस्तुओं और आभूषणों की पहचान की जाएगी।
- 5. अपराध के समय आरोपी व्यक्तियों की पहचान के संबंध में, उच्च न्यायालय ने पाया कि डकैती 25-11-1987 और 26-11-1987 की मध्यरात्रि के दौरान की गई थी। माना कि वह एक अँधेरी रात थी। पीडब्लू 1 रामजी लाल के घर पर बिजली के संबंध में साक्ष्य सुसंगत नहीं थे। जहां तक रामसुख का सवाल है, चौक में अस्थायी बिजली का बल्ब लगा हुआ था। लेकिन सबूतों से यह भी पता चला कि बल्ब काम नहीं कर रहा था। इस बात पर भी असंगित थी कि गाँव में बिजली थी या नहीं। कोर्ट ने पीडब्लू 23, थाना प्रभारी रामस्वरूप यादव के बयान पर भी विचार किया। उन्होंने यह नहीं बताया कि रामसुख के घर में बिजली का बल्ब किस स्थान पर जल रहा था, न ही साइट प्लान एक्सटेंशन में बल्ब का अस्तित्व दर्शाया गया था। पी-2. उन्होंने मौखिक रूप से बताया कि गांव में बिजली की रोशनी है. अदालत ने कहा कि यदि साइट प्लान में बिजली का बल्ब मौजूद था, तो उसका उल्लेख न करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था और यह अभियोजन पक्ष का मामला था कि गवाहों ने डकैतों की पहचान की थी। बिजली के बल्ब की

रोशनी. कोर्ट ने यह भी कहा कि यह संभव नहीं है कि डकैत इस तरह से आएं कि उन्हें गांव के लोग आसानी से पहचान सकें। वे अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करेंगे. उच्च न्यायालय के अनुसार, उन सभी गवाहों के बयान जिन्होंने कहा था कि उन्होंने रोशनी में डकैतों को पहचाना था, "झूठा और अविश्वसनीय" था और अंधेरी रात में गवाह बदमाशों की पहचान नहीं कर सके।

6. आरोपियों की पहचान के संबंध में, पहचान परेड में, उच्च न्यायालय ने पीडब्लू 1 रामजी लाल, पीडब्लू 6, सुक्खो और पीडब्लू 7, रेखा के साक्ष्य पर विचार किया जिन्होंने कहा कि उन्हें कुछ समय बाद डकैतों की गिरफ्तारी के बारे में पता चला। दिन. उच्च न्यायालय ने कहा, "यह सब दर्शाता है" कि आरोपी व्यक्तियों को घटना के 7-8 दिनों के बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी 21-12-1987/22-12-1987 को दिखाई गई थी। कई दिनों तक आरोपियों को थाने में हिरासत में रखा गया। तत्काल उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखायी गयी. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपनी गिरफ्तारी के तुरंत बाद, आरोपी व्यक्तियों ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत जानकारी दी और उस जानकारी के आधार पर, कुछ वस्तुएं बरामद की गईं। लेकिन, अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार, उन्हें घटना के 7-8 दिन बाद पता चला था कि आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और चोरी का सामान बरामद कर लिया गया था। अदालत ने कहा कि इसका मतलब है कि आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी, उनकी जानकारी देना और बरामदगी "सभी झूठे थे और इन सभी में बाद में हेरफेर किया गया है"।

7. न्यायालय ने वस्तुओं की बरामदगी को भी संदिग्ध पाया क्योंकि आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी से पहले और उनके द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत जानकारी देने से पहले, पुलिस ने वस्तुओं को बरामद कर लिया था। इसलिए, न्यायालय ने पाया कि कथित बरामदगी और आभूषणों की पहचान सब दिखावा था। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि पहचान परेड निष्पक्ष और उचित तरीके से नहीं की गई थी और मजिस्ट्रेट द्वारा कोई एहितयाती कदम नहीं उठाया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराने में गलती की और अभियोजन पक्ष "उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता (आरोपी) वही व्यक्ति थे जिन्होंने डकैती को अंजाम दिया था, जैसा कि उसके दवारा आरोप लगाया गया था"।

- 8. हमें पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने साक्ष्यों के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से भी अवगत कराया है। मामले के तथ्यों और पिरिस्थितियों में, हमारी राय में, यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि अभियुक्त को संदेह का लाभ देने और बरी करने का आदेश पारित करने में उच्च न्यायालय गलत था।
- 9. हालाँकि, हम मामले से अलग होने से पहले एक पहलू पर ध्यान दे सकते हैं। अभियुक्तों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करते समय और संदेह का लाभ देते हुए, उच्च न्यायालय ने कुछ टिप्पणियाँ करने और अभियोजन पक्ष के गवाहों के खिलाफ कड़ी भाषा का उपयोग करने में काफी कठोर रुख अपनाया। उदाहरण के लिए, अपराध स्थल पर बिजली की रोशनी की उपलब्धता के संबंध में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य सुसंगत नहीं थे। कोई इस बात की सराहना कर सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय सतर्क रह सकता है और साक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार कर सकता है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान "पूरी तरह से झूठे और गलत" थे।
- 10. हमारे सुविचारित विचार में, उपरोक्त टिप्पणी न तो अपेक्षित थी और न ही उचित थी। विरोधाभासी बयानों को देखते हुए, अदालत आरोपी के खिलाफ एक संस्करण पर विश्वास नहीं कर सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरा संस्करण "झूठा" या "गलत" था।
- 11. फिर, कुछ गवाहों ने कहा कि उन्होंने सुना है कि अभियुक्तों को कुछ दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जांच अधिकारी का साक्ष्य यह था कि आरोपियों को 21/22-12-1987 को गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय, उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, ऐसे सबूतों पर भरोसा नहीं कर सकता है, लेकिन यह मानना कि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और हिरासत में लिया गया था, लेकिन ऐसी हिरासत नहीं दिखाई गई थी, बिल्कुल भी उचित नहीं था।
- 12. इसी तरह, उच्च न्यायालय ने पीडब्लू 21, बरकतुल्लाह खान, अतिरिक्त मुंसिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के खिलाफ सख्त आदेश पारित किए हैं। उच्च न्यायालय के

[2007] 3 SCR 301

अनुसार, हालांकि मजिस्ट्रेट ने कहा था कि उन्होंने आभूषणों की बरामदगी के बाद सभी कदम उठाए थे और अदालत के एक क्लर्क को निर्देश दिया था कि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों को आभूषण दिखाए बिना बाजार से समान आभूषण लाए; मजिस्ट्रेट के बयान पर विश्वास नहीं किया जा सका। उच्च न्यायालय ने कहा: "मजिस्ट्रेट को कैसे पता चला कि जो क्लर्क उन आभूषणों के साथ उसी प्रकार के आभूषण लाने गया था, उसने उन आभूषणों को गवाहों या अन्य व्यक्तियों को नहीं दिखाया?"

- 13. हमारी सुविचारित राय में, कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि उपरोक्त टिप्पणी अनावश्यक थी। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि गहने अभियोजन पक्ष के गवाहों या किसी अन्य व्यक्ति को दिखाए गए थे। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर कुछ भी दर्ज किए बिना मजिस्ट्रेट या अदालत के क्लर्क पर मकसद का आरोप लगाना बह्त ज्यादा होगा।
- 14. यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी मामले से निपटते समय, कानून की अदालत पार्टियों या गवाहों के आचरण पर टिप्पणी कर सकती है और उनके द्वारा पेश किए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक टिप्पणियां भी कर सकती है। यह भी सच है कि न्यायाधीश पसंद-नापसंद और सामान्य मानवीय गुणों वाले हाड़-मांस के प्राणी होते हैं।
- 15. थॉमस रीड पॉवेल ने एक बार कहा था: "न्यायाधीशों की, आपकी और मेरी जैसे, सामाजिक नीतियों के लिए प्राथमिकताएँ होती हैं । उनके पास भी हाथ, अंग, आयाम, इंद्रियां, स्नेह, जुनून हैं। वे एक आम आदमी की तरह, समान सर्दी, गर्मी और विचारों से गर्म होते हैं।
- 16. न्यायमूर्ति जॉन क्लार्क ने यह भी कहा है: "मैंने कभी भी ऐसे न्यायाधीशों को नहीं देखा है, चाहे वे कितने ही विनम्न क्यों न हों, जिन्होंने शुद्ध, शुद्ध कारण के वातावरण में अपने न्यायिक कर्तट्यों का निर्वहन किया हो। अफ़सोस! हम 'धरती माँ के सभी समान पैदाइश हैं यहाँ तक कि हममें से वे भी जो लंबा सभावस्त्र पहनते हैं।'

17. हालाँकि, साथ ही, इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि न्याय के व्यवस्थित प्रशासन के लिए न्यायिक प्रतिबंध और अनुशासन आवश्यक हैं। न्यायमूर्ति एस.के. दास द्वारा, यूपी राज्य बनाम मो. नईम [एआईआर 1964 एससी 703: (1964) 2 एससीआर 363], दी गई स्नहरी सलाह को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए:

"यदि न्याय प्रशासन में मुख्य महत्व का एक सिद्धांत है, तो वह यह है: न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की उचित आज़ादी और स्वतंत्रता को बनाए रखा जाना चाहिए और उन्हें अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप और निडरता से और किसी, इस न्यायालय दवारा भी, के अन्चित हस्तक्षेप के बिना करने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही यह भी उतना ही आवश्यक है कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को अपनी राय व्यक्त करते समय न्याय, निष्पक्षता और संयम के विचारों दवारा निर्देशित होना चाहिए। यह अक्सर नहीं होता है कि व्यापक सामान्यीकरण उस उददेश्य को ही विफल कर देते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। न्यायिक रूप से यह माना गया है कि ऐसे व्यक्तियों या अधिकारियों, जिनका आचरण अदालतों दवारा तय किए जाने वाले मामलों में विचाराधीन है, के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में, इस पर विचार करना प्रासंगिक है (ए) क्या वह पक्ष जिसका आचरण प्रश्न में है अदालत के समक्ष है या उसके पास स्पष्टीकरण देने या अपना बचाव करने का अवसर है; (बी) क्या उस आचरण पर टिप्पणियों को उचित ठहराने वाले रिकॉर्ड पर कोई सब्त है; और (सी) क्या मामले के निर्णय के लिए, उसके अभिन्न अंग के रूप में, उस आचरण पर टिप्पणी करना आवश्यक है। यह भी माना गया है कि न्यायिक घोषणाएँ प्रकृति में न्यायिक होनी चाहिए, और आम तौर पर संयम, संतुलन और संरक्षण से विचलित नहीं होनी चाहिए।" (महत्त्व दिया गया)

(साम्य सेट बनाम शंभू सरकार भी देखें [(2005) 6 एससीसी 767: 2005 एससीसी (सीआरआई) 1483]; वी.जी. रामचन्द्रन, 'लॉ ऑफ राइट्स', जस्टिस सी.के. ठक्कर और एम.सी. ठक्कर द्वारा संशोधित, 6वां संस्करण, 2006, वॉल्यूम 2, पृ. 1788-91.)

18. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारे विचार में, न तो अभियोजन पक्ष के गवाहों के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी उचित थी और न ही इस्तेमाल की गई भाषा की आवश्यकता थी। विवादग्रस्त प्रश्न के निर्धारण के लिए टिप्पणियाँ भी आवश्यक नहीं थीं। इसलिए, उन्हें हटाने का आदेश दिया जाता है।

[2007] 3 SCR 301

19. तथ्यों और परिस्थितियों पर संपूर्णता से विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलत नहीं था कि अभियोजन पक्ष "उचित संदेह से परे" यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी वही व्यक्ति थे जिन्होंने डकैती का अपराध किया था और, इसलिए, उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सका। तद्नुसार अपीलें खारिज की जाती हैं।

अपीलें खारिज|